कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर

विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक../2026   दिनांक..............................

परिवहन विभाग में परिवहन आरक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आगे वर्णित कार्यक्रम एवं नियमों के अनुसार परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक पुरूष/महिला उम्मीद्वारों से, जो छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी हो, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर द्वारा आॅनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

रिक्त पद, विभागीय नियम एवं पाठ्यक्रम

पद का नाम - परिवहन आरक्षक
श्रेणी - अराजपत्रित-तृतीय श्रेणी कार्यपालिक
वेतनमान - वेतन मैट्रिक्स 19500-62000, लेवल 4
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
रिक्तियों की संख्या - 50 पद
पदों का विवरण-

क.	पदनाम	कुल पद श्रेणीवार					दर्शाये गये पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या 30%					दर्शाये गये पदों मे से भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10%				
		अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व	योग	अना.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व	योग	अना.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ. पि.व	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	परिवहन आरक्षक	21	6	16	7	50	6	1	4	2	13	2	0	1	0	3

टीपः- परिवहन आरक्षक का पद दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त चिन्हांकित नहीं है।

1. पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है।
2. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
3. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।
4. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल/स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आॅनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी

गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

2. शैक्षणिक योग्यता:-
माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा या (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।
अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र आॅनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व तिथि तक प्राप्त करना आवश्यक है।

3. शारीरिक मापदण्ड:- अभ्यर्थी शारीरिक तथा मानसिक निःशक्तता से मुक्त होगा-
i अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी गोरखों, गढ़वालियों तथा मराठों से है तो ऊंचाई 162.50 से कम नहीं होनी चाहिए महिलाओं की ऊंचाई 152 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए।
ii सीने की माप- 81.50 से.मी. (बिना फुलाए), 86.50 से.मी. (फुलाकर) से कम नहीं होना चाहिए।
iii अभ्यर्थी की अच्छी द्वि-नेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए और पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए।
iv उसकी दृष्टि की तीक्ष्णता एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। उसे प्रमुख रंगों में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए।
टीप - निर्धारित शारीरिक मापदण्ड से अभ्यर्थी की ऊंचाई, सीने का माप एवं नेत्र दृष्टि कम पाये जाने पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी अपात्र होगा।
4 परिवीक्षा अवधिः-
1. विज्ञापित पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
2. परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा में सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति को विभागीय परीक्षा तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
3. परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवायुक्त का कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाए जाने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात सेवायुक्त को चयनित पद पर नियमित किया जा सकेगा।

5. आयु सीमा:- आयु की गणना दिनांक 01.01.2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 18.01.2024 अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों/कार्यालयों में सीधी भर्ती के पदों में की जाने वाली भर्ती में छत्तीसगढ़ राज्य के मूल/स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं को तथा शासन के नियमानुसार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी। सभी प्रकार के छूट के पश्चात् अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-
1. यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो आयु की अधिकतम सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997, के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
3 उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु-सीमा शिथिलनीय होगीः-
I ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिये।
II ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिये यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन

प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वियन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

III ऐसे अभ्यर्थी, जो ‘‘छंटनी किया गया सरकारी सेवक‘‘ हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गयी समस्त स्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले हीं वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी हो कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः- शब्द ‘‘छंटनी किये गये सरकारी सेवक‘‘ से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

IV ऐसे अभ्यर्थी जो ‘‘भूतपूर्व सैनिक‘‘ हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूव जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:- शब्द ‘‘भूतपूर्व सैनिक‘‘ से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गयी थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था।

(i) ऐसे “भूतपूर्व सैनिक” जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्त रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो ;

(ii) ऐसे “भूतपूर्व सैनिक” जिन्हें दूसरी बार नामांकित कर दिया गया हो और जिन्हें ;

(क) अल्पकालीन वचनबद्व अवधि पूर्ण हो जाने पर ,

(ख) भर्ती संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(iii) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी ;

(iv) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है जो संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हो ;

(v) ऐसे भूतपूर्व अधिकारी जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो। ;

(vi) ऐसे “भूतपूर्व सैनिक” जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है ;

(vii) ऐसे “भूतपूर्व सैनिक” जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो।

4. विधवा, निराश्रित या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्षो की छूट दी जावेगी।

5. उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक है उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपत्ति के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

7. शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीर चन्द्र भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

8. उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़/राज्य/निगम मंडल के कर्मचारी है उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

9. स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा

इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी। छूट की यह सीमा 8 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। किन्तु किसी भी
दशा में संबंधित नगर सैनिक/कमीशन्ड अधिकारी की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. पुलिस विभाग के सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक होगी।

महत्वपूर्ण टीप-

1. छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के मूल/स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात 05 वर्ष तक बढाया गया है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) मूल/स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा।

3. अभ्यर्थी आॅनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में वर्णित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर ले एवं अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरे। परीक्षा में सम्मिलित होने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिए निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

4. आयु संबंधी प्रमाण के लिए सामान्यतः हाई स्कूल/हायर सेकडरी स्कूल अथवा मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण-पत्र मान्य होगा। अन्य प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।

5. विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षिणक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची अभ्यर्थी के पास होना अनिवार्य है।

6. पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि। अभ्यर्थी यह सूनिश्चित कर ले कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

7. प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के समय प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं आनलाईन आवेदन की हार्ड कापी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले एवं न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं होंगे।

8. चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा चयन सूची जारी करने के बाद भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गयी है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति ‘‘नियुक्ति प्राधिकारी‘‘ द्वारा समाप्त कर दी जावेगी।

6 जाति प्रमाण पत्रः-

1. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल/स्थानीय निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु आॅनलाईन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. अनुसूचति जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तद्नुसार जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

3. अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण-पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा

जो आवेदन करने की तिथि से पूर्णवर्ती 03 वर्ष के भीतर जारी किया गया हो।

7 नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

1. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यायल में कार्यरत हों तो वे आॅनलाइन आवेदन कर सकते है, परन्तु आॅनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हे अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को ‘‘अनापत्ति प्रमाण-पत्र‘‘ प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।

2. यदि ऐसे अभ्यर्थी को विभाग द्वारा चयन के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हे चयन के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन के नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

3. यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हो, तो ऐसी स्थिति में उनका चयन तो किया जाएगा परन्तु शारीरिक दक्षता परीक्षण पश्चात चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न की जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए विभाग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8 अनर्हता- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी-

1. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियॅा जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण है तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

2. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक की उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाये मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्यधीन अस्थाई रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

3. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

4. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखे जाये।

5. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा।

6. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

9. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम:-

(i) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ परीक्षा एवं द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता

परीक्षण किया जाएगा।
वस्तुनिष्ठ परीक्षा (सामान्य ज्ञान) -- 100 अंक (समय दो घंटे) वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1/4 ऋणात्मक अंक रहेंगे।

(ii) वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर विज्ञापित पदों के 5 (पॉच) गुना अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण (शारीरिक मापदण्ड) हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों तथा बोनस अंको को मिलाकर अंतिम मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

(iv) पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है।

10. चयन पद्धति:-

(1) चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर द्वारा लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(2) व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम प्राप्तांक सूची तैयार की जावेगी।

(3) लिखित परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थी का शारीरिक दक्षता परीक्षण (शारीरिक माप) लिया जायेगा। परिवहन आरक्षक के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण (शारीरिक माप) हेतु अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा पृथक से बुलाया जायेगा। विज्ञापित पद के 5 (पॉच) गुना शारीरिक दक्षता परीक्षण (शारीरिक माप) के लिए बुलाए जाएंगे।

(4) शारीरिक दक्षता परीक्षण (शारीरिक माप) की सूचना उम्मीदवार को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी और कार्यालय परिवहन आयुक्त की वेबसाइट में भी अपलोड की जावेगी।

(5) चयनित उम्मीद्वार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, आयुक्त, परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर को होगा।

(7) इस विज्ञापन के अधीन होने वाली नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(8) चयनित उम्मीद्वार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेगी।

(9) आवेदन पत्र, विज्ञापित संवर्ग हेतु परीक्षा पाठयक्रम, परीक्षा योजना, आॅनलाइन आवेदन की विधि आदि के विस्तृत निर्देश व्यापम की वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

(10) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकार वरीयता तय की जावेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(11) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। विभाग द्वारा लिए गए शारीरिक दक्षता परीक्षण (शारीरिक माप) में अर्हता प्राप्त होने पर तथा बोनस अंको को मिलाकर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

(12) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद या बिंदु पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा। किसी भी समय इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा।

(13) चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा।

(14) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है अतएव चयनित उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थापना दी जा सकेगी।

(15) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप पत्र क्रमांक एफ-4-1/2014/1-3 दिनांक 03.06.2015 द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना के संबंध में जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु क्रमांक 1-3

के परिपेक्ष्य में प्रथम नियुक्ति के समय अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्र के दुर्गम जिला/विकास खण्ड मे कम से कम 03 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।

(16) विभाग द्वारा जारी अंतिम मेरिट सूची 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।

(17) इस नियुक्ति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

नोट - लिखित परीक्षा के लिये उम्मीद्वारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर/केन्द्र तक जाना होगा, इसके लिये यात्रा व्यय नहीं दिया जायेगा।

11 बोनस अंकः-

परिवहन आरक्षक के पद पर भर्ती हेतु बोनस अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे -

क.	मापदण्ड	अंक	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	05	-
2	मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	05	-
3	केन्द्रीय/राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्युटर एप्लीकेशन में कम से कम एक वर्ष का प्रमाण पत्र/डिप्लोमा	10	अंक कॉलम 3 के अनुसार दिए जाएंगे, साथ ही निर्धारित अवधि से अधिक अथवा उच्च योग्यता होने पर भी अंक दिए जाएंगे।
4	पिछले तीन वर्षो में किसी भी समय राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय या विश्वविद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में टीम या व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लिया हो या राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो।	05	-
5	एन.सी.सी. प्रमाण पत्र धारी	05	-
6	छ.ग शासन के होमगार्ड सेवा में सैनिक के पद पर न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर	01 प्रतिवर्ष (05 अधिकतम)	1. प्रत्येक वर्ष की पूर्ण सेवा के लिये एक अंक प्रदान किये जायेंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 05 अंक होगी।

12. नियुक्ति हेतु अन्य शर्तेंः-

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को अपने नियुक्ति के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुशंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर (छ0ग) द्वारा जारी सत्यापन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

2. यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद अग्रेषित (Caryforward) नहीं किए जाएगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है। अनारक्षित पद के विरूद्ध सभी वर्ग के योग्य उम्मीदवार आवेदन दे सकते हैं।

3. उपरोक्त पदों पर किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार की अनुशंसा अथवा दबाव वर्जित है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित आवेदक का आवेदन निरस्त किया जावेगा।

4. सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपनी सेवा प्रारंभ करने के तत्काल पूर्व में उनके स्वामित्व की इसके द्वारा अर्जित या प्रबंधित या उसके कुटुब के उस पर आश्रित किसी भी सदस्य के स्वामित्व की उसके द्वारा अर्जित या प्रबंधित समस्त अचल संपत्तियों की घोषणा करेगा।

5. उसे भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करनी होगी।

6. वह यह भी घोषित करेगा कि उसे सेवा के निबंधनों नियमों तथा शर्तों की जानकारी है व वह

उसका पूर्णतः पालन करेगा।

Digitally signed by
S.Prakash
Date: 29-01-2026
10:59:07

परिवहन आयुक्त
सह-नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर